उपखण्ड अधिकारी, तिजारा (अलवर) राज.

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 07/2022 | तारीख दायर 19-04-2022 | तारीख फैसला 15/11/2022

उनवान

...कम सिंह

...यपाल सिंह पुत्रान श्री लखीचंद जाति अहीर निवासीगण ग्राम सिदरावली तहसील व जिला गुरूग्राम (हरियाणा) हाल काश्तकार ग्राम हसनपुर तहसील टपूकडा जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम टीहली तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

----:: अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत मसीत पंचायत समिति तिजारा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मसीत तहसील टपूकडा जिला अलवर (राज0)
2. सोमदत पुत्र हरदयाल जाति जांगिड ब्राहमण निवासी मोधूपुर तहसील किशनगढवास हाल कोटकासिम जिला अलवर (राज0)

-----:: रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध इंतकाल संख्या 264 दिनांक 20.12.1995
वाके ग्राम हसनपुर

उपस्थित –

अपीलान्ट – श्री चिरंजीलाल चावडा, एडवोकेट

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 – अनुपस्थित

–:: निर्णय ::–

सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि इंतकाल संख्या 264 दिनांक 20.12.1995 वाके ग्राम हसनपुर तहसील टपूकडा के आदेश के विरूद्ध पेश की जा रही है। अधीनरथ ग्राम पंचायत मसीत का आलोच्य आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरित पारित किया गया है, जिससे हम अपीलान्ट को काफी हानि उठानी पडी है। जिसे रूपयों मे नहीं आका जा सकता है। अधीनरथ ग्राम पंचायत राईखेडा का आलौच्य आदेश नामान्तकरण संख्या 264 दिनांक 20.12.1995 संलग्न पत्रावली है। वाके ग्राम हसनपुर तहसील टपूकडा जिला अलवर के मुनदर्ज इंतकाल संख्या 264 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 42 रकबा 0.4 है0 (03 बिस्वा) गैर मुमकिन चाह, जिसमें रेरपोडेन्ट्स संख्या 2 सोमदत्त का 1/6 हिस्सा निहित था, जिसमें अपने सम्पूर्ण 1/6 हिस्से का बेचान जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 08.09.1995 के बाकब्जा वाप्रतिफल हम अपीलान्ट को कर दिया, जो बयनामा उपपंजीयक टपूकडा की पुस्तक संख्या 1 जिल्द सं. 105 में पृष्ठ संख्या 158 क्र. सं. 966 पर दिनांक 08.09.1995 को पंजीवद्व हुआ है, जिस बयनामा की प्रति संलग्न अपील की जा रही है। हम अपीलान्ट को

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

...त आराजी का कब्जा करा दिया गया था एवं उक्त समय से ही हम अपीलान्ट वर्णित आराजी पर ...डेन्ट्स संख्या 2 सोमदत्त द्वारा उक्त आराजी खसरा नम्बर 42 में निहित अपने सम्पूर्ण 1/6 हिस्से का ...पीलान्ट्स को कर दिये जाने के बाद रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2 का उक्त आराजी से कोई किसी प्रकार का ...कार नहीं है और ना ही कोई हिस्सा शेष रहा। किन्तु राजस्व कर्मचारियों ने इंतकाल संख्या 264 दर्ज ... इंतकाल के खाना संख्या 9 में विक्रमसिंह वगैरा उपरोक्त हिस्सा 1/6 से आगे दर 1/2 बाकी बदस्तूर ...त किया है। जबकि सोमदत्त का उक्त आराजी में मात्र 1/6 हिस्सा ही निहित था और उसने सम्पूर्ण हिस्से ... हम अपीलान्ट्स को जरिये रजि0 बयनामा कर दिया था किन्तु हाल राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2 ... बदस्तूर चला आ रहा है। जो कि खिलाफ रिकार्ड व खिलाफ कानून है। इसलिए इंतकाल संख्या 264 को ... किया जाकर उक्त आराजी का मुताबिक बयनामा दिनांक 08.09.1995 के दर्ज व स्वीकार किया जाना कानूनन ...त, आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

अपीलान्टा द्वारा प्रार्थना पत्र दफा–5 मिंयाद अधिनियम निम्न प्रकार पेश किया है कि विवादित इंतकाल संख्या ...4 का आलौच्य आदेश दिनांक 20.12.1995 की जानकारी दिनांक 10.03.2022 व प्राप्त करने दस्तावेजात व जानकारी ...ते पेश करने अपील हाजा तक का समय न्यायहित में कन्डोन फरमाने की कृपा करें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया जाकर जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। नोटिस की तामील के उपरान्त रेस्पोडेन्ट्स अनुपस्थित रहे इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली पर अपीलान्ट अधिवक्ता की बहस सुनी गई बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है कि इंतकाल संख्या 264 दिनांक 20.12.1995 में दर्ज अपीलान्ट द्वारा बयनामा के आधार दर्ज किया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया। बहस वकील अपीलान्ट पर मनन किया गया। अपीलान्टान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मिंयाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर इंतकाल संख्या 264 स्वीकार दिनांक 20.12.1995 को प्राप्त करने नकल व पेश करने अपील तक का समय न्यायहित में कन्डोन किया जाता है।

अतः इंतकाल संख्या 264 आदेश दिनांक 20.12.1995 वाके ग्राम हसनपुर ग्राम पंचायत मसीत अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार तिजारा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में बयनामा के संबंध में विस्तृत जांच की जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजा... ...र)